बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं. / 41 / 2021

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वरिष्ठ महाप्रबंधक
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लि०
सहरसा।

पटना 14, दिनांक–

विषय – 400 के० वी० डबल सर्किट (क्वार्ड मूस) लिलो ऑफ किशनगंज–दरभंगा 400 के०वी० लाईन ऑफ पावर ग्रिड एट सहरसा (New Loop in & Loop Out both) पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.1904 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/122227/2021/181 दिनांक 24.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु 2.1904 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर दो भागों (भाग–A एवं B) में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग–A में 1–5 शर्त्तें तथा भाग–B में 1–11 शर्तें अधिरोपित है जिसका कंडिकावार अनुपालन आपके स्तर से अपेक्षित है।

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग–A के शर्त्त संख्या 1 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्त्तमान मजदूरी पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु कुल रू० 19,48,260 / – (रूपये उनीस लाख अड़तालीस हजार दो सौ साठ) मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है।

उक्त राशि का आकलन वर्त्तमान मजदूरी दर रू० 306 / प्रतिमानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

3. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग–A के शर्त्त संख्या 2 के आलोक में परियोजना निर्माण के क्रम में परियोजना निर्माण में सहरसा जिलान्तर्गत 1.5824 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये NPV के मद में रू० 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 15,15,591 / – मात्र एवं सुपौल जिलान्तर्गत 0.608 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये NPV के मद में रू० 13.57110 लाख प्रति हे० के दर से रू० 8,25,123 / – मात्र इस प्रकार परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये NPV के मद में कुल रू० 23,40,714 / – (रूपये तैईस लाख चालीस हजार सात सौ चौदह) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

4. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग–B के शर्त संख्या 7 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्त्तमान मजदूरी पर बौनी प्रजाति (Preferably medicinal plant) के पौधों के रोपण हेतु कुल रू० 20,31,133/– (रूपये बीस लाख इकतीस हजार एक सौ तैंतीस) मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है।

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रू० 306/प्रतिमानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

5. **उपर्युक्त CA, NPV एवं बौनी प्रजाति (Preferably medicinal plant) पौधों के रोपण की कुल राशि रू० 63,20,107/– (रूपये तिरेसठ लाख बीस हजार एक सौ सात) मात्र को मंत्रालय के वेब–साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराई जाय।**

6. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को UTR No एवं दिनांक के साथ e-challan की मूल प्रति दी जाय।

7. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र के भाग–A में सन्निहित 1–6 शर्त्तें तथा भाग–B में सन्निहित 1–11 शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./31/2021 236 दिनांक– 28/03/2022

प्रतिलिपि– वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा एवं सुपौल/वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।